राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 51 / 2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि. (पूर्व में मेन्टर इण्डिया लि0) प्रधान कार्यालय– मेन्टर हाऊस, गोविन्द मार्ग सेठी कॉलोनी, जयपुर

–– प्रार्थी

बनाम

1. श्री बक्षु प्रजापत पुत्र लादु लाल प्रजापत
2. श्रीमती मोहनी देवी पत्नि बक्षु प्रजापत
3. श्री दिनेश कुमार पुत्र बक्षु प्रजापत
4. श्री रूपलाल प्रजापत पुत्र बक्षु प्रजापत निवासीगण प्लॉट नंबर 40, ग्राम व ग्राम पंचायत आरजिया, पंचायत समिति, सुवाणा, जिला भीलवाड़ा
5. श्री भेरूनाथ योगी पुत्र शंकर नाथ योगी निवासी प्लॉट नंबर 211, प्रजापत मोहल्ला, ग्राम व ग्राम पंचायत आरजिया, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी – श्री सतीश गौतम।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 29.03.2023

प्राधिकृत अधिकारी, मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि. (पूर्व में मेन्टर इण्डिया लि0) प्रधान कार्यालय– मेन्टर हाऊस, गोविन्द मार्ग सेठी कॉलोनी, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 6,25,000/– रूपये का ऋण दिनांक 27.06.2016 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – **पट्टा नंबर 40, ग्राम व ग्राम पंचायत आरजिया, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा, क्षेत्रफल 910 वर्गफीट में स्थित है, जो श्री बक्षु कुम्हार (प्रजापत) पुत्र लादु लाल के नाम पर है** (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 15.12.2020 तक कुल बकाया ऋण की राशि 12,49,393/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।